डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स (लॉ) बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (टैक्सेज)

बनाम

मैसर्स पदिंजरकारा एजेंसीज

21 जनवरी, 1985

[पी. एन. भगवती और रंगनाथ मिश्रा, न्यायाधिपतिगण]

केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, पहली अनुसूची का आइटम 71-खरीदने का दायित्व अंतिम खरीद के रूप में कर का भुगतान करना, जब उत्पन्न होता है- एक निश्चित तिथि के बाद कर की दर में वृद्धि- ऐसी तिथि से पहले प्राप्त स्टॉक में माल और बाद में वाणिज्य व्यापार में ब्याज में बेचा जाना- कर की संशोधित दर लागू है या नहीं।

प्रतिवादी-निर्धारिती ने 30 जून, 1974 से पहले कुछ खरीदारी की थी और बाद में उन्हें अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान बेच दिया था। केरल सामान्य बिक्री कर की पहली अनुसूची के आइटम 71 के तहत खरीद कर की दर में 1 जुलाई, 1974 से 3% से 5%: वृद्धि की गई थी। उच्च न्यायालय ने माना कि 30 जून, 1974 से पहले प्रतिवादी द्वारा की गई खरीदारी 3% की दर से कर योग्य थी-

इस न्यायालय में अपील को खारिज करते हुये अभिनिर्धारित किया:

निर्धारिती को 30 जून, 1974 से पहले की गई खरीद पर कर के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है, जब तक कि खरीद ने राज्य में अंतिम खरीद होने की गुणवत्ता हासिल नहीं कर ली हो। इस मामले में इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि निर्धारिती 30 जून, 1974 से पहले की गई खरीद पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गया, जैसे ही यह निर्धारित हुआ कि 30 जून, 1974 के बाद भी, कि ये खरीद राज्य के अंदर अंतिम खरीद और परिणामस्वरूप कर के दायरे में थे। चूंकि खरीदारी 30 जून, 1974 से पहले हुई थी, इसलिए निर्धारिती 3% की दर से कर के लिए उत्तरदायी होगा जो उस समय प्रचलित था जब खरीदारी की गई थी। [1075 ई; जी-एच; 10768]

मद्रास राज्य बनाम श्री टी. नारायणस्वामी नायडू और अन्य, (1967) 3 एस.सी.आर. 622,- संदर्भित किया गया।

सीसो रबर्स बनाम केरल राज्य, 48 एस.टी.सी. 256- स्वीकृत। सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4160/1985

उच्च न्यायालय, केरल के टी. आर. सी. नंबर 19/1984 में निर्णय और आदेश दिनांक 25.06.1984 से।

वी. जे. फ्रांसीस, अपीलार्थी के लिये।

सी. एम. अनियारी, मार्कोस वेल्लापल्ली और डी. एन. मिश्रा, प्रतिवादी के लिये।

न्यायालय का निर्णय भगवती, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया।

इस अपील में निर्धारण के लिए एकमात्र प्रश्न यह उठता है कि वह कौन सी दर है जिस पर सामान जो पहले खरीदा गया था और जो 30-6-74 को निर्धारिती के पास स्टॉक में था, खरीदने के लिए कर मूल्यांकन योग्य था, जब 30.6.1974 के बाद हुई घटनाओं के परिणामस्वरूप खरीदारी अंतिम खरीद के रूप में पाई गई। यह प्रश्न तब से महत्वपूर्ण हो गया है जब से खरीद कर की दर 1 जुलाई, 1974 से 3% से बढ़ाकर 5% कर दी गई है। अब वर्तमान मामले में यह विवादित नहीं है कि 30-6-74 से पहले निर्धारिती द्वारा की गई माल की खरीद राज्य के भीतर आखिरी खरीद थी क्योंकि खरीदा गया माल 30-6-74 को स्टॉक में था। बाद में निर्धारिती द्वारा अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान बेचे गए थे, जिसका अर्थ है कि वे राज्य के भीतर नहीं बेचे गए थे और इसलिए निर्धारिती स्पष्ट रूप से राज्य के भीतर अंतिम खरीदार था और इस तरह केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम की पहली अनुसूची के आइटम 71 के तहत खरीद कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। समान रूप से यह भी स्पष्ट है कि निर्धारिती को 30 जून 1974 से पहले की गई खरीद पर कर के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है, जब तक कि खरीद

ने राज्य में अंतिम खरीद होने की ग्णवत्ता हासिल नहीं कर ली हो। यह इस न्यायालय द्वारा मद्रास राज्य बनाम श्री टी. नारायणस्वामी नायडू और अन्य [1967] 3 एस. सी. आर. 622 के मामले में बताया गया था। जब निर्धारिती "रिटर्न दाखिल करता है और हाथ में स्टॉक की घोषणा करता है, तो हाथ में स्टॉक को अंतिम खरीद से अर्जित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह अभी भी अगले मूल्यांकन वर्ष के दौरान इसे बेच सकता है या वह स्वयं इसका उपभोग कर सकता है या माल नष्ट हो सकता है, आदि। वह निर्धारण अधिकारियों के समक्ष दावा करने का हकदार होगा कि हाथ में स्टॉक के अधिग्रहण का चरित्र अनिश्चित था; बाद के वेंट के प्रकाश में यह राज्य के अंदर अंतिम खरीद बन भी सकता है और नहीं भी।" इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि वर्तमान मामले में निर्धारिती 30 जून, 1974 से पहले की गई खरीद पर कर का भुगतान करने में सक्षम हो गया, जैसे ही 30 जून 1974 के बाद यह निर्धारित हो गया कि ये खरीद राज्य के अंदर अंतिम खरीद थी और परिणामस्वरूप कर के दायरे में थे।

लेकिन सवाल ये है कि इन खरीदों के संबंध में निर्धारिती किस दर पर कर के लिए उत्तरदायी था। चूंकि खरीदारी 30 जून 1974 से पहले हुई थी, हमारी राय में, निर्धारिती, उस समय प्रचलित दर पर कर लगाने के लिए उत्तरदायी होगा जब खरीदारी की गई थी और चूंकि उस समय दर बिक्री मूल्य का 3% थी, उच्च न्यायालय का यह विचार सही था कि 30 जून 1974 से पहले निर्धारिती द्वारा की गई खरीदारी 3% की दर से कर

योग्य थी। हम बता सकते हैं कि केरल उच्च न्यायालय द्वारा भी सीसो रबर्स बनाम केरल राज्य, 48 एस.टी.सी. 256 में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया है। हम स्वयं को उस मामले में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा अपनाए गए तर्क से सहमत पाते हैं।

हम तदनुसार अपील को अस्वीकार करते हैं लेकिन लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देते हैं।

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।